Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana
49-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 12, 2025 (PHALGUNA 21, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 12th March, 2025

No. 6-HLA of 2025/10/4779.— The Haryana Land Revenue (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 6-HLA of 2025

THE HARYANA LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Land Revenue Act, 1887.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Land Revenue (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of section 111A of Punjab Act XVII of 1887.

2. In section 111A of the Haryana Land Revenue Act, 1887 (hereinafter referred to as the principal Act),-

(a) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Partition in case of joint holding between land owners except where co-sharers are husband and wife.";

(b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Notwithstanding anything contained in section 111 and with effect from such date, as may be notified in respect of a revenue estate by the Commissioner, the Revenue Officer having jurisdiction shall issue a suo motu notice to all co-sharers recorded in the revenue record or co-sharers in whose favour mutations have been sanctioned, to get the land in their joint ownership partitioned by mutual consent within a period of six months from the date of issue of notice:

Provided that this provision shall not apply where the co-sharers are husband and wife.".

Omission of section 114 of Punjab Act XVII of 1887.

3. Section 114 of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An amendment in the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act XVII of 1887), was enacted by the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Act, 2020 (Haryana Act No.19 of 2021) by inserting section 111A pertaining to partition in case of joint holdings between land owners aimed at reducing litigation both civil as well as revenue courts. While enacting Act no.19 of 2021, the Section 111-A was not made applicable in case all co-sharers are related by blood or where the other co-sharers is a spouse. It has been felt now that there is also significant litigation in joint holdings among co-sharers related by blood. Accordingly, to ease the partition process in such cases where a co-sharer related by blood wants to seek partition of the joint ownership land holding, the amendment in the heading of section 111-A of this Act is proposed to be made by making applicable the said section to all landowners including blood relations except husband and wife. The other amendment in the Haryana Land Revenue Act, 1887 (Punjab act XVII of 1887) is essential so as to ensure speedy disposal of partition cases. As per section 114 of the ibid Act, it is incumbent upon the Revenue Officer to an ascertain whether any other co-sharer(s) desire the partition of their share as well, and, if so, to add them as applicants for partition. It has often observed that co-shares of a khewat with joint ownership cannot make optimum use of their land unless the same has been partitioned and they become sole landowner of specific land parcels having specific khasra numbers and appropriate tatima drawn, if need be. Hence, it is essential to delete Section 114 so as to enable a co-sharer to get only his share partitioned. It shall not be incumbent upon the Revenue Officer upon receipt of an application by a co-sharer to ascertain whether any of the other co-sharers desire the partition of their shares before. The Haryana Land Revenue (Amendment) Bill, 2025 is aimed to achieve the above objects.

VIPUL GOEL,
Revenue & Disaster Management Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 12th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 6 एच.एल.ए.

हरियाणा भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

1887 के पजाब अधिनियम XVII की धारा 111क का संशोधन।

2. हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 111 क में.–

(क) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"जहां संयुक्त भागीदार पति–पत्नी हों, के सिवाय भू–स्वामियों के मध्य संयुक्त जोत के मामले में विभाजन।";

(ख) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) धारा 111 में दी गई किसी बात के होते हुए भी तथा ऐसी तिथि से, जो आयुक्त द्वारा किसी राजस्व संपदा के सम्बन्ध में अधिसूचित की जाए, अधिकारिता रखने वाला राजस्व अधिकारी, राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित सभी संयुक्त भागीदारों या संयुक्त भागीदारों, जिनके पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किए गए हैं, को नोटिस जारी करने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर आपसी सहमति से उनके संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि का विभाजन करवाने के लिए स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करेगा:

परन्तु यह उपबन्ध वहां लागू नहीं होगा, जहां संयुक्त भागीदार पति–पत्नी हों।"

1887 के पंजाब अधिनियम XVII की धारा 114 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 114 का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 1887 का XVII) में एक संशोधन पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 (हरियाणा अधिनियम 2021 का संख्या 19) द्वारा किया गया था, जिसमें संयुक्त मालिकों के बीच हिस्सेदारी से संबंधित धारा 111–क का समावेश किया गया था, जिसका उद्देश्य सिविल एवं राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की संख्या को कम करना था। जब अधिनियम 2021 का संख्या 19 बनाया गया, तो धारा 111–क को यह शर्त लागू नहीं की गई थी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ सभी सह–स्वामित्वकर्ता रक्त संबंधी हों या अन्य सह–स्वामित्वकर्ता पति–पत्नी हों। अब यह महसूस किया गया है कि रक्त संबंधी सह–स्वामित्वकर्ताओं के बीच भी संयुक्त हिस्सेदारी के मामले में महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी हो रही है। इस प्रकार, उन मामलों में जहाँ कोई रक्त संबंधी सह–स्वामित्वकर्ता संयुक्त भूमि पर हिस्सेदारी की मांग करता है, उसमें इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए धारा 111–क के शीर्षक में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह धारा सभी भूमि मालिकों पर लागू हो, सिवाय पति–पत्नी के संबंध के।

हरियाणा भू–राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम 1887 का XVII) में अन्य संशोधन आवश्यक है ताकि भागीदारी मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, राजस्व अधिकारी पर यह अनिवार्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई अन्य सह–स्वामी अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करना चाहते हैं या नहीं, और यदि हां, तो उन्हें बंटवारे के लिए आवेदनकर्ताओं के रूप में जोड़ें। यह अक्सर देखा गया है कि किसी खेवट के सह–स्वामी, जिनकी संयुक्त संपत्ति है, अपनी भूमि का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि उसका बंटवारा न किया गया हो और वे विशेष भूमि के एकमात्र मालिक न बन जाएं, जिनके पास विशिष्ट खसरा नंबर और आवश्यकता के अनुसार उचित ततिमा तैयार किया गया हो। इसलिए, यह आवश्यक है कि धारा 114 को हटाया जाए ताकि एक सह–स्वामी केवल अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करवा सके। राजस्व अधिकारी पर यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह सह–स्वामियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करें कि क्या अन्य सह–स्वामी अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करना चाहते हैं।

हरियाणा भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025 उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

विपुल गोयल,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।